

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/

दिनांक:- /04/2017

—:: आदेश ::—

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2013/137 दिनांक 10.10.2013 के द्वारा डॉ० पूनम देवी पुत्री श्री रामधन, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के जारी आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।


उक्त आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 14.02.17 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।  
दिनांक:-/5/04/2017

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/ 126

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन सम्बन्धित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजि पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।